भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश, राज्य मुख्यालय
शांति मार्ग, श्यामला हिल्स, भोपाल

Website:www.bsgmp.net, E_mail: bsgmadhyapradesh@gmail.com , Phone ☏: 2661263, Fax: 2737446

क्रमांक / 4471 / रामु / प्रशि0स्का0 / 2018–19 भोपाल, दिनांक 24 / 12 / 2018

प्रति,

1. सहायक राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट / गाइड)
   भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश
   संभागीय कार्यालय ....(म0प्र0) ।
2. शिविर संचालक,
   भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश
   शिविर ....(म0प्र0) ।
3. जिला संगठक (स्काउट / गाइड)
   भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश
   जिला संघ ....(म0प्र0) ।
4. वार्डन, राज्य / संभाग / जिला प्रशिक्षण केन्द्र.......(म0प्र0) ।

विषय :— परियोजना अन्तर्गत शिविरों में राशि व्यय करने संबंधी दिशा—निर्देश ।

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि परियोजना अन्तर्गत राज्य/ संभाग / जिला में युवा / वयस्क प्रशिक्षण शिविरां का आयोजन माह दिसम्बर 2018 में आयोजित किये जा रहें है । इन शिविरों के आयोजन के समय निम्न दिशा—निर्देशों को विशेष रूप से ध्यान रखकर कड़ाई से पालन करें ।

1. शिविर में सभी संचालक मण्डल का एक दिवस पूर्व शिविर स्थल पर पहुंचना अनिवार्य है ।
2. शिविर स्थल पर शिविरार्थियों की आवास, जल, प्रकाश, सेनिटेशन, प्रशिक्षण व्यवस्था सुविधाजनक हो ध्यान रखा जावे ।
3. शिविर प्रारंभ दिनांक को शाम 5.00 बजे तक शिविरार्थियों की उपस्थिति सूची सहित राज्य मुख्यालय भोपाल को ईमेल से सूचित करना अनिवार्य होगा, साथ ही राज्य संगठन / प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट / गाइड) को दूरभाष पर प्रतिभागियों के उपस्थिति की सूचना देना अनिवार्य होगा ।
4. जो शिविर शुल्क की राशि प्रदान की जा रही है उस राशि में से शिविर की भोजन व्यवस्था एवं शिविर की आवश्यकता अनुसार स्टेशनरी सामग्री आदि पर ही व्यय किया जावे अन्य मदों पर नहीं ।
5. जो शिविर शुल्क प्रदाय किया जा रहा है उसमें शिविर के संचालक मण्डल को भी सम्मिलित माना जावें ।
6. जो राशि किसी फर्म को भुगतान करते है तो उससे राशि प्राप्ति की पावती ली जावें।

7. यात्रा भत्तो की राशि पृथक से प्रदाय की जा रही है जिसे नियमानुसार यात्रा देयक परीक्षण उपरान्त भुगतान किया जा सकेगा ।

8. जो राशि आपको प्रदाय की जा रही है यदि कोटे अनुसार संख्या उपस्थित नहीं होती है तो वह राशि व्यय न की जावे । यदि निर्धारित कोटा से अधिक संख्या उपस्थित होती है तो तत्काल अधिक कोटे की अनुमति प्राप्त करें ।

9. राज्य/ संभाग/जिला में आयोजित होने वाले शिविरों को समापन के पश्चात् अंतिम दिवस पूर्ण प्रतिवेदन तैयार कर ही संचालक मण्डल शिविर स्थल से प्रस्थान करेगें ।

10. निर्धारित बजट के अनुसार यात्रा देयक की राशि अधिकतम प्रदाय की गई है । परीक्षण उपरान्त भुगतान किया जावे । यदि किसी प्रतिभागी को निर्धारित दर से अधिक राशि होती है तो उसका औचित्य दर्शाते हुये भुगतान से पूर्व स्वीकृति अधोहस्ताक्षरकर्ता से लेना अनिवार्य होगा ।

राज्य सचिव
भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश

पृ0क्र0/4472 /रामु/प्रशि0स्का0/2018–19 भोपाल, दिनांक 24/12/2018

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु–

1. राज्य मुख्य आयुक्त, राज्य मुख्यालय भोपाल ।
2. राज्य संगठन/प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट/गाइड) राज्य मुख्यालय भोपाल ।
3. लेखा शाखा/परियोजना शाखा राज्य मुख्यालय भोपाल ।

राज्य सचिव
भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश

E:\Activity_Gatividi\ACTI-2018-19\Letter.docx/sahu-75